राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–260 / 2023

धर्मराज मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.01.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपील पर ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की भर्ती तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हुई थी। पूर्व में वर्ष 2018 में अपीलार्थी का नाम अस्थायी वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं था, जबकि वरिष्ठता में निम्न कार्मिकों के नाम सूची में शामिल थे, जिस पर अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अस्थायी वरिष्ठता सूची में नाम शामिल करने की प्रार्थना की। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–11367 / 2018 धर्मराज मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 24.05.2018 पारित किया था एवं यह आदेश दिया था कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात रिव्यू डीपीसी की बैठक की जावे, यदि अपीलार्थी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को स्वीकार किया जाताा है तो अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं की जावे। रिव्यू डीपीसी की बैठक के पश्चात अपीलार्थी का चयन वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया, जिसके सम्बन्ध में आदेश दिनांक 12.09.2018 पारित किया गया।

वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक की मण्डल स्तरीय अस्थायी वरिष्ठता सूची वर्ष 2016–17 में अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों के नाम शामिल है, परन्तु अपीलार्थी के वरिष्ठ होते हुए भी, इस वरिष्ठता सूची में उसका नाम नहीं है। अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक 6702 है, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों के नाम वरिष्ठता सूची में शामिल है, उनके नाम वरिष्ठता क्रमांक निम्न प्रकार है :– घनश्याम मीणा–6714, रामचरण मीणा–6721 एवं कल्लूराम मीणा–6723 है। अस्थायी वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की, परन्तु उसकी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया और राज्य स्तरीय स्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गयी है। उनका तर्क है कि वर्तमान में पदोन्नति हेतु डीपीसी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जबकि अपीलार्थी की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित फरमावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

वर्तमान में अपीलार्थी का नाम स्थायी वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया गया है एवं अपीलार्थी की आपत्ति पर भी विचार नहीं किया गया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर नियमानुसार निस्तारण करने के पश्चात ही डीपीसी की बैठक का आयोजन किया जावे।

उक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R